

तारीख हुकम	निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 स्थगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या : 52/2023 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुयें
23.01.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस से ज्ञात है कि वकील प्रार्थीगण श्री अमृत परिहार द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी जा रही है कि ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा कायम मिसल संख्या 22/2022-23 दिनांक 04.05.2022 प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 05.07.2022 विधिविरुद्ध होने से प्रस्तुत निगरानी के निर्णय तक पट्टा संख्या 7 बुक संख्या 03 में वर्णित पड़ोस के मध्य स्थित भूमि पर अप्रार्थीगण निर्माण कार्य नहीं करें, दुकानें नहीं खोलें, उत्तर दिशा में दरवाजा नहीं करें और ना ही उपयोग उपभोग करें। तथा आगे से आगे हस्तांतरण नहीं करें। इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी। बहस के दौरान विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश की तथा दलीलों के समर्थन में निम्न न्यायिक उद्धरण पेश किये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भगवानलाल बनाम राजस्थान राज्य 2014(4) डी एन जे 1606</li> <li>2. रामकुमार ढाका बनाम राजस्थान राज्य 2013(1) आर जे टी 433</li> <li>3. नारायणलाल बनाम सरकार 1999 डी एन जे 672 राजस्थान</li> <li>4. उषा बनाम सरकार 2018 (2) आर जे टी 1347</li> <li>5. राजूचिता बनाम जिला कलेक्टर राज. हाईकोर्ट डी/डी 04.03.2015</li> <li>6. घेवरचंद बनाम राजस्थान राज्य 2017 (3) आर जे टी 1995</li> <li>7. परागचन्द बनाम राजस्थान 2010 (2) आर जे टी 1541</li> <li>8. मोहन कंवर बनाम एस डी एम 2018 (1) आर जे टी 564</li> <li>9. जुमरराम बनाम ए डी एम जोधपुर 2017 (2) डब्ल्यु एल सी राज. 120</li> <li>10. अशोक बनाम राजस्थान राज्य 2016 (3) डब्ल्यु एल एन 318</li> <li>11. मो. हुसैन खत्री बनाम राजस्थान राज्य 2007 (3) डब्ल्यु एल एन 566</li> <li>12. मनालाल बनाम रामेश्वर 1952 आर एल डब्ल्यु राजस्थान 50</li> <li>13. रघुनाथसिंह बनाम रेवेन्यु बोर्ड 2000 (3) आर एल डब्ल्यु 1539</li> <li>14. 2015 ए आई आर सी सी 915 राजस्थान</li> </ol> <p>इसके विपरित अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़ द्वारा बहस में स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी जा रही है कि प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत पंचायत निगरानी चलने योग्य नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा जो प्रसंगत प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 05.07.2023 को पारित किया गया है, वह प्रस्ताव राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के आदेश दिनांक 12.06.2023 की पालना में</p>	

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली

पारित किया गया है। जिसमें नियमों की अवहेलना नहीं की है। विवादास्पद सम्पत्ति का पट्टा तत्कालिन जागीरदार ठाकुर लक्ष्मणसिंह जागीरदार घाणेराव द्वारा दिनांक 19.09.1951 को टीनेन्सी एक्ट, 1955 तथा पंचायती राज अधिनियम लागू होने से पहले से जारी किया हुआ है। जिस पट्टा के अनुसार विवादित सम्पत्ति के स्वामी अप्रार्थी है। अप्रार्थी द्वारा पट्टासुदा व कब्जासुदा भूमि को ही वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करने का आवेदन ग्राम पंचायत में किया गया। जो ग्राम पंचायत नाडोल के क्षेत्राधिकार में नहीं आने से पंचायत समिति देसूरी को पत्रावली भेजी। विकास अधिकारी, देसूरी द्वारा पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को पत्रावली भिजवाई। वांछित सम्पत्ति को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली प्राधिकृत अधिकारी होने से दिनांक 12.06.2023 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई। जिस स्वीकृती के अधीन ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा दिनांक 05.06.2023 को प्रस्ताव संख्या 11 लिया जाकर उक्त पट्टा जारी किया गया, जिसका पंजीकरण उप पंजीयक, देसूरी के यहां दिनांक 14.07.2023 को करवाया गया। इतना ही ना ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा ग्राम पंचायत नाडोल के प्रस्ताव संख्या 11 की पालना में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ राशि 36,40,096/- रुपये रसीद संख्या 291 दिनांक 29.09.2022 के जरिये राजकोष में जमा करवाई गई। भूमि के स्वामी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 होने से सम्पत्ति को प्रतिफल राशि अदा कर अप्रार्थी संख्या 06, 07 द्वारा खरीद की गई, तथा खरीदसुदा सम्पत्ति में से 01 भाग अप्रार्थी संख्या 08 को बेचान किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 01, 02 जागीर समय से सम्पत्ति के मालिक है, तथा ग्राम पंचायत नाडोल ने प्रस्ताव संख्या 11 सक्षम प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली द्वारा जारी स्वीकृति की पालना में पंचायत नियमों के तहत पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक अनियमितता नहीं है। प्रार्थीगण उक्त सम्पदा के कभी मालिक नहीं रहें है तथा न ही कब्जा प्रार्थीगण का रहा है। यदि प्रार्थीगण पंचायत की भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहें है तो ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें नियमानुसार हटा दिया गया है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं० 01, 02 की जागीर समय के पट्टासुदा व कब्जासुदा भूमि के संबंध में कोई निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने से स्थगन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाने की दलील दी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2021 DNJ (राज)(1) पेज 186 गोपाल पटेल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय की और ध्यान आकृष्ट कर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी संख्या 03, 04 व 05 के अधिवक्ता श्री दिनेश माथुर ने बहस में प्रार्थना पत्र जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि सरहद नाडोल चक संख्या 01 तहसील देसूरी में तत्कालीन ठाकुर श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा दिनांक 19.09.1951 को सागरमल, अचलदास, बरतीमल, उम्मेदमल रा बेटा पोतरा निवासी नाडोल के हक में इमारती पट्टा 450 X 100 फीट (आवासीय प्रयोजनार्थ) जारी किया गया था। बाद में उक्त पट्टे के उत्तर दिशा में 08 फीट चौड़ी व 450 फीट लम्बी नाप की भूमि को पट्टाधारी द्वारा खरीद किया गया था। जिससे उक्त पट्टा 108 फीट चौड़ा और 450 फीट लम्बा था, जिसके पड़ोस उत्तर में- रानी जानें का रास्ता, दक्षिण में -गुरा जोधराज

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
वाली, जिला-पाली

का बेरा व जाव, पुरब में- खालसा जमीन, पश्चिम में- खालसा जमीन स्थित थी। उक्त पट्टे की भूमि को गांव नाडोल में सागर बाग के नाम से जाना जाता है। सम्पत्ति के स्वामी द्वारा अपनी भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजन रूपान्तरण करवाये जाने के लिये आवेदन ग्राम पंचायत नाडोल में पेश किया गया। जिस पर पत्रावली संख्या 22/2022-23 दिनांक 04.05.2022 को दर्ज की गई। जिस पत्रावली पर पंचायत द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्ताव संख्या 11 पारित करते हुए सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को दिनांक 08.11.2022 को भेजी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली द्वारा दिनांक 12.06.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में वाणिज्यिक पट्टा जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत नाडोल को निर्देशित किया गया। जिस पर ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा रसीद संख्या 291 दिनांक 29.09.2022 से राशि 36,40096 रुपये प्राप्त कर वाणिज्यिक पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी किया गया व उक्त पट्टे को उप पंजीयन देसूरी के समक्ष पेश कर पंजीबद्ध कराया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत नाडोल व पंचायत समिति देसूरी द्वारा विधि के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त पत्रावली को सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली को भेजी गई। जिनसे पट्टा जारी करने के निर्देश प्राप्त होने पर पट्टा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर जारी किये तथा नियमानुसार पंजीयन करवाया गया। विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा वकील प्रार्थी की इन दलीलों का बहस के दौरान खड़न करते हुए दलील दी गई की ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा आवासीय पट्टा का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम 1956 के नियम 173 व धारा 107 क के तहत प्रार्थी के आवासीय भूमि से 37000 वर्गफीट यानि 3512 वर्गमीटर के लिए सक्षम नहीं होने से प्राधिकृत अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को पत्रावली वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करने के लिये भेजी गई। जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली अधिकृत होने से पत्रावली में तमाम औपचारिकता पूर्ण होने पर अनुमोदन करते हुए निर्धारित राशि प्राप्त कर ग्राम पंचायत नाडोल को पट्टा जारी करने के निर्देश दिये गये। जिसकी अनुपालना में पट्टा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी कर उसका पंजीयन करवाया गया था।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष वकूलाय की बहस व बहस के दौरान प्रस्तुत कानून उद्धरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भी मनन किया इसके साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों को भूमि का आवासीय से अन्य उपयोग में संपरिवर्तित किये जाने बाबत जारी परिपत्रक्रमांक/एफ.4(3)निर्देश/पट्टा/विधि/पंरा/2020/849 जयपुर दिनांक : 30.09.2021 में वर्णित निर्देशों का भी अध्ययन किया गया। उभयपक्ष वकूलाय की बहस व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि निगरानी में वर्णित भूमि के स्वामी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को तत्कालिन जागीरदार घाणेराव के ठाकुर लक्ष्मणसिंह द्वारा दिनांक 19.09.1951 को आवासीय पट्टा जारी किया गया था तथा उक्त पट्टे के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 वादग्रस्त सम्पदा के मालिक रहे हैं। प्रार्थीगण का उक्त सम्पदा से कोई हित अथवा मालिकाना हक नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा ग्राम पंचायत नाडोल के आवादी भूमि में स्थित अपने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
पाली, जिला-पाली

हकस्वत्व की आवासीय भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन सम्परिवर्तन करने के लिये आवेदन ग्राम पंचायत नाडोल में किया गया। जो ग्राम पंचायत नाडोल के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से पंचायत समिति देसूरी को पत्रावली भेजी गई। विकास अधिकारी देसूरी द्वारा पत्रावली मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली द्वारा दिनांक 12.06.2023 को ग्राम पंचायत को वर्णित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन संपरिवर्तन किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई। जिस स्वीकृती के पश्चात पंचायत नियमों के अधीन ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा दिनांक 05.07.2023 को प्रस्ताव संख्या 11 लिया जाकर वाणिज्यिक प्रयोजन परिवर्तन किये गये तथा उक्त पट्टा का पंजीयन उप पंजीयक देसूरी के यहां दिनांक 14.07.2023 को करवाया गया इतना ही न ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा ग्राम पंचायत नाडोल के प्रस्ताव संख्या 11 की पालना में वाणिज्यिक प्रयोजन राशि 36,40096 रुपये जरिये रसीद संख्या 291 दिनांक 29.09.2022 को राजकोष में जमा करवाई गई, भूमि के स्वामी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 होने से सम्पत्ति को प्रतिफल राशि अदा कर अप्रार्थी संख्या 06 व 07 द्वारा खरीद की गई तथा खरीदसुदा सम्पत्ति में से एक भाग अप्रार्थी संख्या 08 को बेचान किया गया। इस प्रकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान लागू होने के पूर्व से ही अप्रार्थी संख्या 01 व 02 वर्णित सम्पत्ति के स्वामी रहे हैं जिनको अपनी सम्पत्ति को सम्परिवर्तन करवाने के विधिक अधिकार होने से ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए राशि वसूल कर प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 05.07.2022 से वाणिज्यिक प्रयोजन सम्परिवर्तन किया गया। निगरानीकर्ता अधिवक्ता की इन दलीलों में बल नहीं है कि पंचायती राज नियम 1996 की धारा 174 क व नियम 173 के से 173 ज के प्रावधानों की अवहेलना की गई है। इसके साथ प्रस्तुत कानूनी उद्धरण भी हस्तगत प्रकरण पर सटीक नहीं हैं प्रार्थीगण के पास कोई मालिकाना हक के कोई विधिक दस्तावेज नहीं होते हुए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि को संपरिवर्तन करने हेतु जारी प्रस्ताव संख्या 11 को चुनौती का कोई हक अधिकार नहीं रहता है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है जिससे प्रस्तुत निगरानी के साथ में प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है उक्त आदेश के पश्चात दिनांक 31.10.2023 को न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निषेधाज्ञा स्वत ही निष्प्रभावी हो जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।



25/11/23  
 (जि. नं. 25/11/23)  
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
 P.A.S.  
 पाली, जिला-पाली